



श्री

रेवेन्यू निगरानी कं० 5-

प्रस्तुति दिनांक :- 20/6/18

श्री. रामश्री वैद्य
कोषागारक रूप
20-6-18 का
प्रमाण पत्र
20-6-18

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर के

निगरानी-4268/2018/इंदौर/स्टांपअर्द्ध समक्ष

1 :- अम्बाराम पिता धूलिया

2 :- मदनलाल पिता धूलिया

3 :- जगन्नाथ पिता धूलिया

सभी निवासी ग्राम पिपल्या हाना तहसील

व जिला इन्दौर

----- प्रार्थीगण

विरुद्ध

1 :- घनश्याम पिता रामेश्वर

2 :- अशोक पिता रामेश्वर

3 :- सुधीर पिता रामेश्वर

सभी निवासी 39 व 40,

गीतानगर, लालाराम नगर

के पास इन्दौर

-----प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी/अपील धारा 27 (क) भारतीय करात्म्य
अधिनियम के तहत

प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि :-

यह कि, प्रार्थीगण माननीय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 84/8-103/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 12-04-2018 से असन्तुष्ट होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

316

2

XXXIX(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 4268 PB 12/18 / भाग-अ / ए-2132

तहसील शिवराय विरुद्ध एम 2218

जिला इन्दौर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
------------------	---------------------	--

आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला
 के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक.
 के विरुद्ध श्री राम श्याम वैष्णव
 के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।
 पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.
 रु की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।

noted
18/7/18
Ram
vaishnav
20/01/18

18.7.2018

प्रस्तुतकार

आवेदकगण श्री ओर से श्री शकेन्द्र तिवेदी, अभिभावक उपस्थित। प्रकरण सशम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जा रहा है।

[Handwritten signature]

अध्यक्ष